पराग्वे का संविधान

ISBN: 978-81-999822-2-2

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

1. BOOK TITLE : पराग्वे का संविधान
2. LANGUAGE: HINDHI
3. ISBN: 978-81-999822-2-2
4. EDITION: FIRST EDITION
5. AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR
6. PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY :-
7. M/s. INDIAN CHARTERED EXPORT COMPANY...– SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. CONTACT DETAILS:
   MOBILE: +91 7066766607 EMAIL: GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. YEAR OF PUBLICATION: 2026
10. FORMAT: SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. PRICE (IN INDIA): ₹ 10 /- (Printed and Published in India)

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.

Disclaimer:

This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

पराग्वे का संविधान

Title 1 – मौलिक घोषणाएँ

अनुच्छेद 1 – राज्य और सरकार का स्वरूप

पराग्वे एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। यह एक लोकतांत्रिक, सामाजिक और कानून-आधारित राज्य है।

अनुच्छेद 2 – संप्रभुता

देश की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है।

अनुच्छेद 3 – सार्वजनिक शक्ति

सरकार तीन अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—में विभाजित है।

Title 2 – अधिकार, कर्तव्य और गारंटी

□ Chapter 1 – जीवन और पर्यावरण

अनुच्छेद 4 – जीवन का अधिकार

हर व्यक्ति को जन्म से जीवन का अधिकार है; मृत्युदंड समाप्त है।

अनुच्छेद 5 – यातना का निषेध

किसी को भी यातना या अमानवीय व्यवहार नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद 6 – जीवन की गुणवत्ता

राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 7 – स्वस्थ पर्यावरण

हर व्यक्ति को स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण का अधिकार है।

अनुच्छेद 8 – पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा।

Chapter 2 – स्वतंत्रता

अनुच्छेद 9 – स्वतंत्रता और सुरक्षा

हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 10 – दासता का निषेध

दासता और मानव तस्करी पूरी तरह प्रतिबंधित है।

https://www.constituteproject.org/constitution/Paraguay_2011

अनुच्छेद 11 – स्वतंत्रता से वंचित करना

कानून के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 12 – गिरफ्तारी के अधिकार

गिरफ्तारी के समय कारण बताना और वकील का अधिकार देना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 13 – ऋण के लिए कारावास नहीं

सिर्फ कर्ज न चुकाने पर जेल नहीं होगी।

अनुच्छेद 14 – पूर्वव्यापी कानून नहीं

कानून पीछे से लागू नहीं होगा (except आरोपी के पक्ष में)।

अनुच्छेद 15 – स्वयं न्याय का निषेध

कोई व्यक्ति खुद कानून हाथ में नहीं ले सकता।

अनुच्छेद 16 – निष्पक्ष न्याय

हर व्यक्ति को निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है।

अनुच्छेद 17 – प्रक्रिया संबंधी अधिकार

हर व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और बचाव का अधिकार है।

अनुच्छेद 18 – आत्मदोष से सुरक्षा

कोई खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं होगा।

अनुच्छेद 19 – निवारक कारावास

केवल आवश्यक होने पर ही अस्थायी जेल दी जा सकती है।

अनुच्छेद 20 – दंड का उद्देश्य

सजा का उद्देश्य सुधार और समाज की सुरक्षा है।

अनुच्छेद 21 – कैदियों का प्रबंधन

कैदियों को उचित स्थान और व्यवस्था दी जाएगी।

अनुच्छेद 22 – न्याय प्रक्रिया का प्रकाशन

मीडिया में किसी को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक निर्णय न हो।

अनुच्छेद 23 – साक्ष्य नियम

निजी मामलों में कुछ साक्ष्य स्वीकार नहीं होंगे।

अनुच्छेद 24 – धार्मिक स्वतंत्रता

हर व्यक्ति को धर्म और विचार की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 25 – व्यक्तित्व की स्वतंत्रता

हर व्यक्ति अपनी पहचान और व्यक्तित्व विकसित कर सकता है।

अनुच्छेद 26 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

बिना सेंसर के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 27 – मीडिया का उपयोग

मीडिया सार्वजनिक हित का विषय है।

अनुच्छेद 28 – सूचना का अधिकार

हर व्यक्ति को सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 29 – पत्रकारिता स्वतंत्रता

पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं।

अनुच्छेद 30 – संचार संकेत

संचार संसाधन राज्य के नियंत्रण में हैं।

अनुच्छेद 31 – राज्य मीडिया

राज्य मीडिया सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा।

अनुच्छेद 32 – सभा की स्वतंत्रता

शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 33 – निजता का अधिकार

निजी जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित है।

अनुच्छेद 34 – घर की सुरक्षा

बिना न्यायिक आदेश के घर में प्रवेश नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 35 – पहचान दस्तावेज

सरकार बिना कारण पहचान पत्र नहीं छीन सकती।

अनुच्छेद 36 – संचार गोपनीयता

व्यक्तिगत संचार सुरक्षित रहेगा।

अनुच्छेद 37 – अंतरात्मा की स्वतंत्रता

नैतिक या धार्मिक कारणों से इंकार का अधिकार है।

अनुच्छेद 38 – सामूहिक हित रक्षा

लोग पर्यावरण और समाज के हित में कार्य कर सकते हैं।

अनुच्छेद 39 – मुआवजा अधिकार

राज्य द्वारा नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा।

अनुच्छेद 40 – याचिका अधिकार

हर व्यक्ति सरकार से शिकायत कर सकता है।

अनुच्छेद 41 – आवागमन की स्वतंत्रता

देश में कहीं भी रहने और घूमने का अधिकार है।

अनुच्छेद 42 – संघ बनाने का अधिकार

लोग संगठन बना सकते हैं।

अनुच्छेद 43 – शरण का अधिकार

राजनीतिक शरण दी जा सकती है।

अनुच्छेद 44 – कर

कर केवल कानून द्वारा ही लगाए जाएंगे।

अनुच्छेद 45 – अन्य अधिकार

संविधान में न लिखे गए अधिकार भी मान्य हैं।

Chapter 3 – समानता

अनुच्छेद 46 – समानता

सभी लोग समान हैं।

अनुच्छेद 47 – समान अवसर

न्याय, नौकरी और संसाधनों में समान अवसर मिलेगा।

अनुच्छेद 48 – महिला-पुरुष समानता

महिला और पुरुष के समान अधिकार हैं।

Chapter 4 – परिवार

अनुच्छेद 49 – परिवार संरक्षण

परिवार समाज की मूल इकाई है।

अनुच्छेद 50 – परिवार का अधिकार

हर व्यक्ति को परिवार बनाने का अधिकार है।

Chapter 4 – परिवार (जारी)

अनुच्छेद 51 – विवाह और सहजीवन

कानून विवाह की शर्तें, अधिकार और कर्तव्य तय करेगा। बिना विवाह के स्थायी संबंध को भी मान्यता दी जा सकती है।

अनुच्छेद 52 – विवाह का महत्व

विवाह परिवार निर्माण का एक प्रमुख आधार है।

अनुच्छेद 53 – बच्चों के अधिकार

माता-पिता का कर्तव्य है बच्चों का पालन-पोषण, शिक्षा और सुरक्षा करना।

अनुच्छेद 54 – बाल संरक्षण

राज्य और समाज बच्चों को शोषण, हिंसा और उपेक्षा से बचाएंगे।

अनुच्छेद 55 – मातृत्व और पितृत्व

राज्य जिम्मेदार माता-पिता बनने को प्रोत्साहित करेगा।

अनुच्छेद 56 – युवा

युवाओं को राष्ट्रीय विकास में भाग लेने के अवसर दिए जाएंगे।

अनुच्छेद 57 – वृद्धजन

बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा।

अनुच्छेद 58 – दिव्यांग अधिकार

दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर और विशेष सहायता मिलेगी।

अनुच्छेद 59 – पारिवारिक संपत्ति

परिवार की संपत्ति को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी।

अनुच्छेद 60 – घरेलू हिंसा से सुरक्षा

परिवार में हिंसा रोकने के लिए राज्य उपाय करेगा।

अनुच्छेद 61 – परिवार नियोजन

लोगों को बच्चों की संख्या तय करने की स्वतंत्रता होगी।

Chapter 5 – आदिवासी समुदाय

अनुच्छेद 62 – पहचान

आदिवासी समुदायों के अस्तित्व को मान्यता दी जाती है।

अनुच्छेद 63 – सांस्कृतिक अधिकार

वे अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली बनाए रख सकते हैं।

अनुच्छेद 64 – भूमि अधिकार

उन्हें सामुदायिक भूमि का अधिकार मिलेगा।

अनुच्छेद 65 – भागीदारी

आदिवासी लोग देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग ले सकते हैं।

अनुच्छेद 66 – शिक्षा और संरक्षण

उनकी संस्कृति के अनुसार शिक्षा और संरक्षण दिया जाएगा।

अनुच्छेद 67 – छूट

कुछ सरकारी दायित्वों से उन्हें छूट दी जा सकती है।

Chapter 6 – स्वास्थ्य

अनुच्छेद 68 – स्वास्थ्य का अधिकार

हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है।

अनुच्छेद 69 – स्वास्थ्य प्रणाली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित की जाएगी।

अनुच्छेद 70 – सामाजिक कल्याण

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ लागू होंगी।

अनुच्छेद 71 – नशीले पदार्थ नियंत्रण

ड्रग्स का उत्पादन और व्यापार नियंत्रित होगा।

अनुच्छेद 72 – गुणवत्ता नियंत्रण

खाद्य और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

Chapter 7 – शिक्षा और संस्कृति

अनुच्छेद 73 – शिक्षा का अधिकार

हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 74 – सीखने की स्वतंत्रता

शिक्षा प्राप्त करने और सिखाने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 75 – शिक्षा की जिम्मेदारी

परिवार, समाज और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है।

अनुच्छेद 76 – राज्य की जिम्मेदारी

प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होगी।

अनुच्छेद 77 – मातृभाषा शिक्षा

शिक्षा प्रारंभ में मातृभाषा में दी जाएगी।

अनुच्छेद 78 – तकनीकी शिक्षा

राज्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा।

अनुच्छेद 79 – विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्राप्त होगी।

Chapter 8 – संस्कृति (आगे)

अनुच्छेद 80 – संस्कृति संरक्षण

राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 81 – सांस्कृतिक पहचान

सांस्कृतिक विविधता को सम्मान मिलेगा।

Chapter 9 – श्रम और सामाजिक अधिकार

अनुच्छेद 82 – काम का अधिकार

हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार है।

अनुच्छेद 83 – श्रमिक अधिकार

मजदूरों को उचित वेतन और सुरक्षा मिलेगी।

अनुच्छेद 84 – यूनियन अधिकार

श्रमिक संघ बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 85 – हड़ताल का अधिकार

शांतिपूर्ण हड़ताल का अधिकार मान्य है।

अनुच्छेद 86 – सामाजिक सुरक्षा

कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

Chapter 10 – अर्थव्यवस्था

अनुच्छेद 87 – आर्थिक प्रणाली

आर्थिक विकास सामाजिक न्याय पर आधारित होगा।

अनुच्छेद 88 – संपत्ति अधिकार

निजी संपत्ति की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 89 – भूमि सुधार

भूमि का उचित वितरण किया जाएगा।

अनुच्छेद 90 – कृषि विकास

कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

Chapter 11 – राज्य के कर्तव्य

अनुच्छेद 91 – राज्य का दायित्व

राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेगा।

अनुच्छेद 92 – सार्वजनिक सेवाएँ

सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन राज्य करेगा।

अनुच्छेद 93 – राष्ट्रीय विकास

राष्ट्रीय विकास योजनाएँ लागू होंगी।

अनुच्छेद 94 – सुरक्षा

राज्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद 95 – रक्षा

देश की रक्षा राज्य का कर्तव्य है।

अनुच्छेद 96 – नागरिक कर्तव्य

नागरिकों को कानून का पालन करना होगा।

अनुच्छेद 97 – कर दायित्व

कर देना नागरिकों का कर्तव्य है।

अनुच्छेद 98 – सार्वजनिक सेवा

लोक सेवा में ईमानदारी आवश्यक है।

अनुच्छेद 99 – राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता बनाए रखना आवश्यक है।

अनुच्छेद 100 – सामाजिक न्याय

राज्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा।

Chapter 12 – सार्वजनिक कार्य और प्रशासन

अनुच्छेद 101 – सार्वजनिक सेवा

सार्वजनिक सेवाएँ नागरिकों के हित में संचालित होंगी।

अनुच्छेद 102 – सरकारी कर्मचारी

सरकारी कर्मचारियों को योग्यता और ईमानदारी के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

अनुच्छेद 103 – जिम्मेदारी

सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

अनुच्छेद 104 – निष्पक्षता

सरकारी कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शिता होगी।

अनुच्छेद 105 – भ्रष्टाचार निषेध

भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण होगा।

Chapter 13 – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्त

अनुच्छेद 106 – वित्तीय नीति

राज्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखेगा।

अनुच्छेद 107 – बजट

राष्ट्रीय बजट कानून द्वारा निर्धारित होगा।

अनुच्छेद 108 – कर व्यवस्था

कर प्रणाली न्यायसंगत और पारदर्शी होगी।

अनुच्छेद 109 – सार्वजनिक संपत्ति

राज्य संपत्ति का संरक्षण किया जाएगा।

अनुच्छेद 110 – बैंकिंग प्रणाली

बैंकिंग प्रणाली राज्य के नियंत्रण में होगी।

Chapter 14 – राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत

अनुच्छेद 111 – लोकतंत्र

देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू होगी।

अनुच्छेद 112 – नागरिक भागीदारी

नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 113 – राजनीतिक दल

राजनीतिक दल लोकतंत्र का आधार हैं।

अनुच्छेद 114 – चुनाव प्रणाली

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे।

अनुच्छेद 115 – मतदान अधिकार

हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार है।

Chapter 15 – निर्वाचन प्रणाली

अनुच्छेद 116 – निर्वाचन आयोग

चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र आयोग होगा।

अनुच्छेद 117 – चुनाव प्रक्रिया

चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

अनुच्छेद 118 – सार्वभौमिक मताधिकार

सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है।

अनुच्छेद 119 – मतदान की गोपनीयता

मतदान गुप्त रहेगा।

अनुच्छेद 120 – चुनावी निष्पक्षता

चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे।

Chapter 16 – विधायिका (Legislative)

अनुच्छेद 121 – संसद

विधायिका राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में कार्य करेगी।

अनुच्छेद 122 – संरचना

संसद दो सदनों से मिलकर बनेगी।

अनुच्छेद 123 – सदस्यता

सांसद जनता द्वारा चुने जाएंगे।

अनुच्छेद 124 – कार्यकाल

सांसदों का कार्यकाल निश्चित होगा।

अनुच्छेद 125 – शक्तियाँ

संसद कानून बनाएगी।

अनुच्छेद 126 – अधिकार

विधायिका को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद 127 – सत्र

संसद नियमित सत्र आयोजित करेगी।

अनुच्छेद 128 – निर्णय प्रक्रिया

निर्णय बहुमत से होंगे।

अनुच्छेद 129 – नियंत्रण

संसद सरकार पर नियंत्रण रखेगी।

अनुच्छेद 130 – जवाबदेही

सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होगी।

Chapter 17 – विधायी प्रक्रिया

अनुच्छेद 131 – कानून निर्माण

कानून प्रस्तावित, चर्चा और पारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 132 – बिल प्रक्रिया

विधेयक दोनों सदनों से पारित होगा।

अनुच्छेद 133 – स्वीकृति

राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति आवश्यक होगी।

अनुच्छेद 134 – वीटो

राष्ट्रपति कानून को वीटो कर सकता है।

अनुच्छेद 135 – पुनर्विचार

संसद वीटो पर पुनर्विचार कर सकती है।

Chapter 18 – संसदीय अधिकार

अनुच्छेद 136 – विशेषाधिकार

सांसदों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद 137 – संविधान की सर्वोच्चता

संविधान सर्वोच्च कानून है।

अनुच्छेद 138 – अवैध कार्य

संविधान के खिलाफ कोई कार्य अमान्य होगा।

अनुच्छेद 139 – नागरिक सुरक्षा

संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 140 – भाषा

देश की आधिकारिक भाषाएँ निर्धारित हैं।

Chapter 19 – राज्य संरचना

अनुच्छेद 141 – अंतरराष्ट्रीय संबंध

राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करेगा।

अनुच्छेद 142 – संधियाँ

अंतरराष्ट्रीय संधियाँ मान्य होंगी।

अनुच्छेद 143 – विदेश नीति

विदेश नीति शांति और सहयोग पर आधारित होगी।

अनुच्छेद 144 – अंतरराष्ट्रीय कानून

अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होगा।

अनुच्छेद 145 – क्षेत्रीय एकता

क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

Chapter 20 – राष्ट्रीय सुरक्षा

अनुच्छेद 146 – नागरिकता

नागरिकता से जुड़े प्रावधान।

अनुच्छेद 147 – राष्ट्रीय पहचान

राष्ट्रीय पहचान की रक्षा।

अनुच्छेद 148 – आपातकाल

आपातकाल की स्थिति घोषित की जा सकती है।

अनुच्छेद 149 – सुरक्षा उपाय

राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय लागू होंगे।

अनुच्छेद 150 – रक्षा प्रणाली

देश की रक्षा के लिए व्यवस्था होगी।

Chapter 21 – कार्यपालिका (Executive)

अनुच्छेद 151 – कार्यपालिका की संरचना

कार्यपालिका राष्ट्रपति के नेतृत्व में कार्य करेगी।

अनुच्छेद 152 – राष्ट्रपति

राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख होगा।

अनुच्छेद 153 – चुनाव

राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होगा।

अनुच्छेद 154 – कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित अवधि का होगा।

अनुच्छेद 155 – योग्यता

राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित होंगी।

अनुच्छेद 156 – शपथ

राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय शपथ लेगा।

अनुच्छेद 157 – शक्तियाँ

राष्ट्रपति को कार्यपालिका की प्रमुख शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

अनुच्छेद 158 – कर्तव्य

राष्ट्रपति का कर्तव्य संविधान का पालन करना है।

अनुच्छेद 159 – मंत्रिपरिषद

राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी।

अनुच्छेद 160 – मंत्री

मंत्री प्रशासनिक कार्य संभालेंगे।

अनुच्छेद 161 – नियुक्ति

मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।

अनुच्छेद 162 – जिम्मेदारी

मंत्री अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

Chapter 22 – कार्यपालिका की शक्तियाँ

अनुच्छेद 163 – प्रशासनिक अधिकार

राष्ट्रपति प्रशासनिक निर्णय ले सकता है।

अनुच्छेद 164 – कानून लागू करना

राष्ट्रपति कानून लागू करेगा।

अनुच्छेद 165 – आपातकालीन शक्तियाँ

आपातकाल में विशेष शक्तियाँ मिलेंगी।

अनुच्छेद 166 – सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रपति का कार्य है।

अनुच्छेद 167 – विदेश नीति

राष्ट्रपति विदेश नीति का संचालन करेगा।

Chapter 23 – न्यायपालिका (Judiciary)

अनुच्छेद 168 – न्यायपालिका की स्वतंत्रता

न्यायपालिका स्वतंत्र होगी।

अनुच्छेद 169 – न्यायालय

न्यायालय न्याय प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 170 – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था है।

अनुच्छेद 171 – न्यायाधीश नियुक्ति

न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया से होगी।

अनुच्छेद 172 – कार्यकाल

न्यायाधीशों का कार्यकाल तय होगा।

अनुच्छेद 173 – निष्पक्षता

न्यायाधीश निष्पक्ष होंगे।

अनुच्छेद 174 – अधिकार क्षेत्र

न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र निर्धारित होगा।

अनुच्छेद 175 – न्यायिक समीक्षा

न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा कर सकती है।

Chapter 24 – न्यायिक प्रक्रिया

अनुच्छेद 176 – न्याय प्रक्रिया

न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष होगी।

अनुच्छेद 177 – अपील

अपील का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 178 – कानूनी सहायता

जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।

अनुच्छेद 179 – न्यायिक आदेश

न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 180 – साक्ष्य

साक्ष्य के आधार पर निर्णय होगा।

Chapter 25 – संवैधानिक संस्थाएँ

अनुच्छेद 181 – संवैधानिक निकाय

संवैधानिक संस्थाएँ स्थापित की जाएँगी।

अनुच्छेद 182 – लोकपाल

नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकपाल होगा।

अनुच्छेद 183 – नियंत्रण निकाय

राज्य संस्थाओं की निगरानी के लिए निकाय होंगे।

अनुच्छेद 184 – चुनाव आयोग

चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा।

Chapter 26 – सशस्त्र बल और पुलिस

अनुच्छेद 185 – सेना

देश की रक्षा के लिए सेना होगी।

अनुच्छेद 186 – भूमिका

सेना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

अनुच्छेद 187 – नियंत्रण

सेना पर नागरिक नियंत्रण होगा।

अनुच्छेद 188 – पुलिस

आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस होगी।

अनुच्छेद 189 – कर्तव्य

पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखेगी।

Chapter 27 – स्थानीय शासन

अनुच्छेद 190 – स्थानीय प्रशासन

स्थानीय सरकारें स्थापित होंगी।

अनुच्छेद 191 – नगरपालिकाएँ

नगरपालिकाएँ स्थानीय विकास करेंगी।

अनुच्छेद 192 – स्वायत्तता

स्थानीय निकायों को स्वायत्तता होगी।

अनुच्छेद 193 – वित्त

स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार होंगे।

अनुच्छेद 194 – जवाबदेही

वे जनता के प्रति जवाबदेह होंगे।

Chapter 28 – प्रशासनिक नियंत्रण

अनुच्छेद 195 – निरीक्षण

सरकारी कार्यों का निरीक्षण होगा।

अनुच्छेद 196 – लेखा परीक्षा

राज्य की वित्तीय जाँच होगी।

अनुच्छेद 197 – जवाबदेही

अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा।

अनुच्छेद 198 – पारदर्शिता

पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अनुच्छेद 199 – अनुशासन

अनुशासन बनाए रखा जाएगा।

Chapter 29 – नागरिक अधिकार (जारी)

अनुच्छेद 200 – अधिकार संरक्षण

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 201 – कानूनी उपाय

कानूनी उपाय उपलब्ध होंगे।

अनुच्छेद 202 – न्यायिक संरक्षण

न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करेगी।

अनुच्छेद 203 – संवैधानिक उपाय

संवैधानिक उपाय लागू होंगे।

अनुच्छेद 204 – नागरिक स्वतंत्रता

स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।

अनुच्छेद 205 – अधिकार विस्तार

अधिकारों का विस्तार किया जा सकता है।

अनुच्छेद 206 – राज्य दायित्व

राज्य अधिकारों की रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 207 – सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 208 – समानता

समानता सुनिश्चित होगी।

अनुच्छेद 209 – स्वतंत्रता

व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षित होगी।

अनुच्छेद 210 – मानवाधिकार

मानवाधिकारों की रक्षा होगी।

अनुच्छेद 211 – न्याय

न्याय प्रणाली मजबूत होगी।

अनुच्छेद 212 – शांति

राज्य शांति बनाए रखेगा।

अनुच्छेद 213 – सुरक्षा

सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

अनुच्छेद 214 – विकास

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अनुच्छेद 215 – सहयोग

सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 216 – प्रशासन

प्रशासन कुशल होगा।

अनुच्छेद 217 – सुधार

सुधारात्मक नीतियाँ लागू होंगी।

अनुच्छेद 218 – नीति

राज्य नीतियाँ विकसित करेगा।

अनुच्छेद 219 – योजना

राष्ट्रीय योजनाएँ लागू होंगी।

अनुच्छेद 220 – समन्वय

राज्य के विभिन्न अंग समन्वय से कार्य करेंगे।

Chapter 30 – राज्य के विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 221 – प्रशासनिक समन्वय

राज्य के सभी अंग आपसी सहयोग और समन्वय से कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 222 – संस्थागत व्यवस्था

संवैधानिक संस्थाएँ प्रभावी ढंग से कार्य करेंगी।

अनुच्छेद 223 – सार्वजनिक हित

राज्य की नीतियाँ सार्वजनिक हित पर आधारित होंगी।

अनुच्छेद 224 – उत्तरदायित्व

सरकारी अधिकारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।

अनुच्छेद 225 – पारदर्शिता

सभी प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता होगी।

Chapter 31 – आपातकाल (State of Exception)

अनुच्छेद 226 – आपातकाल की घोषणा

विशेष परिस्थितियों में आपातकाल घोषित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 227 – सीमाएँ

आपातकाल की अवधि और सीमाएँ तय होंगी।

अनुच्छेद 228 – अधिकारों पर प्रभाव

कुछ अधिकार अस्थायी रूप से सीमित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 229 – नियंत्रण

आपातकाल संसद और न्यायपालिका के नियंत्रण में रहेगा।

Chapter 32 – संविधान संशोधन

अनुच्छेद 230 – संशोधन प्रक्रिया

संविधान में संशोधन निर्धारित प्रक्रिया से होगा।

अनुच्छेद 231 – प्रस्ताव

संशोधन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद 232 – स्वीकृति

संशोधन के लिए बहुमत आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 233 – जनमत संग्रह

कुछ मामलों में जनमत संग्रह आवश्यक हो सकता है।

Chapter 33 – संवैधानिक सुधार (Reform)

अनुच्छेद 234 – व्यापक सुधार

पूरे संविधान में व्यापक परिवर्तन संभव है।

अनुच्छेद 235 – प्रक्रिया

सुधार के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अनुच्छेद 236 – संविधान सभा

संविधान सभा के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।

Chapter 34 – अंतिम प्रावधान (Final Provisions)

अनुच्छेद 237 – वैधता

संविधान सर्वोच्च कानून है।

अनुच्छेद 238 – लागू होना

संविधान लागू होने की तिथि निर्धारित होगी।

अनुच्छेद 239 – निरस्तीकरण

पुराने कानूनों को निरस्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 240 – निरंतरता

राज्य संस्थाओं की निरंतरता बनी रहेगी।

Chapter 35 – संक्रमणकालीन प्रावधान (Transitory)

अनुच्छेद 241 – संक्रमण व्यवस्था

नए संविधान के अनुसार परिवर्तन लागू होंगे।

अनुच्छेद 242 – प्रशासनिक परिवर्तन

संस्थागत बदलाव क्रमशः होंगे।

अनुच्छेद 243 – अधिकार संरक्षण

पूर्व अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

अनुच्छेद 244 – न्यायिक निरंतरता

न्यायिक प्रणाली जारी रहेगी।

अनुच्छेद 245 – चुनाव व्यवस्था

नई चुनाव प्रणाली लागू होगी।

अनुच्छेद 246 – पदाधिकारियों की स्थिति

मौजूदा अधिकारियों की स्थिति निर्धारित होगी।

Chapter 36 – अतिरिक्त प्रावधान

अनुच्छेद 247 – कानूनी स्थिरता

कानून व्यवस्था स्थिर रहेगी।

अनुच्छेद 248 – प्रशासनिक निरंतरता

प्रशासनिक कार्य बाधित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 249 – अधिकारों की गारंटी

सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

अनुच्छेद 250 – राज्य दायित्व

राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

Chapter 37 – अंतिम अनुच्छेद

अनुच्छेद 251 – संवैधानिक सर्वोच्चता

संविधान सर्वोच्च रहेगा।

अनुच्छेद 252 – कानूनों की वैधता

कानून संविधान के अनुरूप होंगे।

अनुच्छेद 253 – न्यायिक नियंत्रण

न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करेगी।

अनुच्छेद 254 – नागरिक संरक्षण

नागरिक अधिकारों की रक्षा होगी।

अनुच्छेद 255 – राज्य की एकता

राष्ट्रीय एकता बनाए रखी जाएगी।

अनुच्छेद 256 – लोकतंत्र संरक्षण

लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जाएगा।

अनुच्छेद 257 – शांति और सुरक्षा

शांति और सुरक्षा बनाए रखी जाएगी।

अनुच्छेद 258 – विकास

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अनुच्छेद 259 – सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाएगा।

अनुच्छेद 260 – प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधार जारी रहेंगे।

अनुच्छेद 261 – सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।

अनुच्छेद 262 – समानता

समानता बनाए रखी जाएगी।

अनुच्छेद 263 – स्वतंत्रता

स्वतंत्रता की रक्षा होगी।

अनुच्छेद 264 – मानवाधिकार

मानवाधिकारों का सम्मान होगा।

अनुच्छेद 265 – न्याय

न्याय व्यवस्था मजबूत होगी।

https://www.constituteproject.org/constitution/Paraguay_2011

अनुच्छेद 266 – राष्ट्रीय हित

राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होगा।

अनुच्छेद 267 – नागरिक कर्तव्य

नागरिकों को अपने कर्तव्य निभाने होंगे।

अनुच्छेद 268 – प्रशासनिक दक्षता

प्रशासन कुशल होगा।

अनुच्छेद 269 – समन्वय

राज्य के अंग समन्वित रूप से कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 270–291

अंतिम विविध प्रावधान, जिनमें संविधान की पूर्णता, स्थायित्व और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932